



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18925 वर्ष 2026

श्रीमती सुधा उर्फ अटावरीआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जितेंद्र सिंह, प्रेमनेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., हनुमान प्रसाद कुशवाहा

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.. श्री जी.पी. सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 18/2021 में धारा 498ए, 306 भारतीय दंड संहिता और 3/4 डी पी एक्ट, थाना महरौनी, जिला ललितपुर में विद्वान चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि एफआईआर के अनुसार, आवेदक पर केवल एक सामान्य आरोप लगाया गया था; इस न्यायालय ने 19.03.2021 को आवेदक को 45 दिनों के लिए या पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक (जो भी पहले हो) अग्रिम जमानत दी थी। हालाँकि, आवेदक विद्वान न्यायालय के सामने पेश नहीं हुईं और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट और पेशी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और वह 29.04.2026 से जेल में बंद हैं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मरने से पहले फांसी लगाने के कारण दम घुटना पाया गया है; आवेदक विद्वान की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके।

5. एफआईआर के अनुसार, आवेदक पर केवल सामान्य आरोप लगाए गए थे। इस न्यायालय ने आवेदक को 19.03.2021 को 45 दिनों की अवधि के लिए या पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक (जो

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी पहले हो) अग्रिम ज़मानत दी थी। हालाँकि, आवेदक संबंधित विद्वान न्यायालय के सामने पेश नहीं हुई और उनके खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट और उन्हें पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विद्वान न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765)** मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़ी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. इसलिए, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुधा अटवारी** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो ज़मानतदारों और व्यक्तिगत मुचलके पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक ज़मानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए।

संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विद्वान न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. 'सुओ मोटो रिट याचिका (सीआरएल.) संख्या 4/2021' (जिस पर 31.01.2023 को फैसला हुआ और जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट की गई है) में 'ज़मानत देने की नीतिगत रणनीति' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

1 जून, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।